C.NO. 218/2023 हेमराज V/S लक्ष्मीनारायण

01/9/25 पत्रावली पेश हुई वकील वादी व वादी उपस्थित। वादी की साक्ष्य ली गई वकील वादी अवगत कोई साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते हैं वादी की साक्ष्य बन्द की गई है वास्ते अन्तिम बहस पत्रावली दिनांक 14/10/25 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

14/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। पीठासीन अधिकारी RAS में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते .... बहस अन्तिम .... दिनांक 29/10/25 को पेश हो।

29/10/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। पीठासीन अधिकारी RAS में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते .... बहस अन्तिम .... दिनांक 23/12/25 को पेश हो।

23/12/25 पत्रावली पेश हुई वकील पक्षकारान उप.। पीठासीन अधिकारी RAS में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार वास्ते .... बहस अन्तिम .... दिनांक 06/1/2026 को पेश हो।

06/1/26 पत्रावली पेश हुई वकील वादी उप.। वकील वादी की ओर से धारा 188, 209 RTAct बहस सुनी गई। वादी का वाद स्वीकार किया जाकर विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर पत्रावली में शामिल की। पत्रावली फैसल शुमार होकर नथ्थी रिकॉर्ड हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

१२५.

डिक्री

(आर्डर 20, रूल्स 6–7 जाब्ता दिवानी)

(Civil Procedure Code Appendix D-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम किशनगढ़ (अजमेर)

व इजलास रजत यादव आई.ए.एस.

1. हेमराज पुत्र श्री रामकरण जाति बलाई आयु 36 वर्ष लाई आयु ३० वर्षे निवासी बलाईयों की बस्ती, शेरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान। वादी

बनाम

1. सत्यनारायण जाट पुत्र तेजराम उर्फ भोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
2. तहसीलदार, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत् : 188, 209 आर.टी.एक्ट
मुकदमा नम्बर : 218 / 2023
निर्णय दिनांक : 06.01.2026

वादी द्वारा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद के संबंध में वकील वादी की एकपक्षीय बहस एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध हुई एकपक्षीय कार्यवाही के क्रम एवं वादी की साक्ष्य के अनुसार पीठासीन अधिकारी श्रीमान रजत यादव आई.ए.एस. के समक्ष निपटारे के लिये उपस्थित होने पर आज दिनांक 06.01.2026 को प्रतिवादी संख्या 01 के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा डिक्री जारी की जाती है कि प्रतिवादी संख्या 01 वादी के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, एकल खातेदारी की आराजीयात ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 440 रकबा 2.2328 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.6391 हैक्टेयर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 2.8719 हैक्टेयर भूमि में ब्लात अतिचार, अतिक्रमण नहीं करें एवं वादी के कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें वादी को मौके से बेदखल नही करें, वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा उत्पन्न नहीं करें।

अंकित मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)

राजस्व वाद संख्या 218/2023

1. हेमराज पुत्र श्री रामकरण जाति बलाई आयु 36 वर्ष लाई आयु ३० वर्ष निवासी बलाईयों की बस्ती, शेरपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राजस्थान।

वादी

बनाम

1. सत्यनारायण जाट पुत्र तेजराम उर्फ भोमाराम जाति जाट निवासी ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।
2. तहसीलदार, किशनगढ़ तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

प्रतिवादीगण

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 188, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं स्थाई निषेधाज्ञा

दिनांक: 06.01.2026

उपस्थितः डॉ रामदेव गुर्जर वादी अभिभाषक

1. यह वाद वादी द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 188, 209 के अन्तर्गत विरूद्ध प्रतिवादीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
2. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि –

2.1 वादी द्वारा वाद में दावा क़िया गया कि वादी के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, एकल खातेदारी की आराजीयात ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 440 रकबा 2.2328 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.6391 हैक्टेयर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 2.8719 हैक्टेयर भूमि है जो वादी की एकल खातेदारी की भूमि है जिसमें वादी का कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। वादी अपनी एकल खातेदारी की भूमि पर काबिज काश्त है परन्तु प्रतिवादी संख्या 1 व इसके नौकर, चाकर, एजेन्ट, रिश्तेदार द्वारा वादी के कृषकिय कार्य में व्यवधान, मदाखलत करने पर आमादा है एवं ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने पर एवं मौका पाकर वादी को मौके से बेदखल करने पर उतारू है वादी ग्राम शेरपुरा तहसील फागी का निवासी है जो रोज अपनी एकल खातेदारी भूमि पर आकर देख–भाल करने में असमर्थ है इस कारण फायदा उठा कर प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा अवैध गुट तैयार करके भू–माफियां गिरोह से मिलकर वादी की भूमि को हड़प करने की मंशा से अवैध कृत्य करने पर आमादा है। वादी की एकल खातेदारी, कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में अधिकार अभिलेख में इन्द्राज है। जिसका वादी उपयोग उपभोग करता आ रहा है जिसमें प्रतिवादी संख्या 1 का किसी प्रकार से कोई हित–अधिक़ार व स्वत्व निहित नहीं है, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा बिना किसी वैध अधिकार के वर्णित आराजी में वादी के कृषकिय कार्य में व्यवधान, कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग में मदाखलत कारीत करने पर आमादा रहते है एवं वर्णित आराजी की मेड, डोल, सीमा को जबरन तोडने पर आमादा है एवं वादी को मौके से बेदखल करके अवैध अतिचार, अतिक्रमण करने पर उद्धत है। जबकि वादी की एकल खातेदारी में प्रतिवादी संख्या 1 का कोई स्वत्व नही हैं। वादी अपनी एकल खातेदारी की भूमि पर दिनांक 17.09.2023 को सार–संभाल करने आया तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ लोगो के साथ अवैध गुट तैयार करके अवैध अधिकार जताते हुये मौके पर वादी से लडाई–झगड़ा कर वादी को मौके से बेदखल करने पर आमादा हो गये एवं वादी के कृषि भूमि में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने की धमकी दी इस कारण से प्रतिवादी संख्या 1 व इसके नौकर, चाकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें की वादी की एकल खातेदारी में वादी के कृषकिय कार्य में किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं करे, वादी की एकल खातेदारी भूमि से वादी को मौके से बेदखल नहीं करें एवं वादी की कब्जे काश्त की भूमि पर लगे मेडो को नहीं काटे, वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा कारित नहीं करने हेतु पाबन्द किया जाना आवश्यक है। वादी अपनी एकल खातेदारी की भूमि पर दिनांक 17.09.2023 को सार–संभाल

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)

आया तो प्रतिवादी संख्या 1 कुछ लोगो के साथ अवैध गुट तैयार करके अवैध अधिकार जताते मौके पर वादी से लडाई–झगड़ा कर वादी को मौके से बेदखल करने पर आमादा हो गये वादी के कृषकिय कार्य में ब्लात, अतिचार, अतिक्रमण करने की धमकी दी तत्पश्चात वादी ने अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर अविलम्ब रूप से माननीय न्यायालय के समक्ष वाद पेश करना आवश्यक हुआ है। तब से वाद कारण निरन्तर जारी है। प्रतिवादी संख्या 2 भू–धारी होने से वाद में पक्षकार संयोजित किया गया है एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित डिक्री की पालना करवाने के लिये सक्षम अधिकारी होने से पक्षकार संयोजित किया गया है। वादी की खातेदारी की आराजी होने से श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से सम्पुर्ण श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को है। वादी के कब्जे काश्त, उपयोग–उपभोग, एकल खातेदारी की आराजीयात ग्राम नलू तहसील किशनगढ़ के वर्तमान खसरा नम्बर 440 रकबा 2.2328 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.6391 हैक्टेयर भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 2.8719 हैक्टेयर भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व इसके नौकर, चाकर, एजेन्ट, रिश्तेदार आदि को इस आशय से पाबन्द किया जाकर स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाया जावें की वादी की भूमि पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण नहीं करें एवं वादी के कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें वादी को मौके से बेदखल नही करें, वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा/ मजाहमत उत्पन्न नहीं करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री विरूद्ध प्रतिवादीगण फरमाया जावें।

3.प्रतिवादीगण को आदेश 5 नियम 1 व 5 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के तहत नोटिस जारी किये गये प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नही होने के कारण दिनांक 18.12.2023 को एकपक्षीय कार्यावाही की गई एवं प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से दिनांक 14.05.2024 को जबाव दावा पेश किया गया।

3.1. प्रतिवादी संख्या 02 की ओर से पेरोकार सरकार के प्रतिनिधि द्वारा जबाव पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि वर्तमान में वादी के नाम दर्ज है तथा प्रकरण में राजहित प्रभावित नहीं होता है।

3.2 प्रतिवादी संख्या 02 प्रफोमा पक्षकार होने के कारण पत्रावली में तनकीयात कायम नही की जाकर वादी साक्ष्य को शपथ दिलवाई गई एवं प्रस्तुत दस्तावेज पर प्रदर्श का अंकन करवाया गया जो इस प्रकार है प्रदर्श 01 जमाबन्दी ग्राम नलू खसरा संख्या 440, 441।
वकील वादी की मूल वाद पर एक पक्षीय बहस सुनी एवं वाद पत्र तथा दस्तावेज का अवलोकन किया गया।

4. हमारे द्वारा पत्रावली के साथ संलग्न राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया जाकर वकील प्रतिवादीगण की बहस पर मनन किया गया। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर वाद पत्र के पैरा सं0 01 में अंकित वादग्रस्त भूमि ग्राम नलू स्थित खसरा संख्या 440, 441 कुल किता 02 कुल रकबा 2.8719 हैक्टेयर में प्रतिवादी संख्या 01 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह वादी की भूमि पर ब्लात अतिचार, अतिक्रमण नहीं करें एवं वादी के कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करें वादी को मौके से बेदखल नही करें, वादी के उपयोग–उपभोग में बाधा/ मजाहमत उत्पन्न नहीं करें, तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।
आदेश लिखाया जाकर आज दिनांक 06.01.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)